सं.12019/01/2021-रा.भा.(का.2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001, दिनांक:17.11.2022

कार्यालय आदेश

विषय:- अनुवादकों का पैनल गठित किए जाने के संबंध में।

राजभाषा विभाग द्वारादिनांक 19.04.2022 को जारी समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसारकेंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित अनुवादकों को अनुवाद कार्य (अंग्रेजी से हिंदी व विलोमतः) हेतु पैनल के लिए चयनित किया गया है:-

क्र.सं	नाम	संगठन
1.	श्री हीरालाल कर्नावट	सेवानिवृत्त - भारतीय स्टेट बैंक
2.	श्री प्रदीप कुमार भूल	सेवानिवृत्त - भारतीय स्टेट बैंक
3.	श्री हर सिंह	सेवानिवृत्त (लोक सभा सचिवालय)
4.	श्री रामफल यादव	(हिंदी) सलाहकार- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
5.	श्री अंजनि कुमार श्रीवास्तव	मुख्य प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त (राजभाषा) 31.05.2021 भारतीयबैंक
6.	श्री चंद्र गोपाल शर्मा	सेवानिवृत्त - इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, वित्तमंत्रालय, राजभाषा विभाग एवं रेल मंत्रालय
7.	श्री सुधीर कुमार साहू	सेवानिवृत्त- यूको बैंक
8.	श्री महारम तंवर	वरिष्ठ सहायक (एचआर और राजभाषा) जैव प्रोद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र (कार्यरत)
9.	श्री अशोक कुमार जायसवाल	हिंदी से अंग्रेजी एवं विलोमत: अनुवाद तथा अनुदीत पाठ की पुनरीक्षा, पर्येवक्षण आदि (लोक सभा सचिवालय)
10.	श्री गणपत लाल चपलोत	सेवानिवृत्त - यूनियन बैंक आफ इंडिया
11.	श्री पूजन गौतम	सेवानिवृत्त- यूनियन बैंक आफ इंडिया
12.	श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह	सह अनुवादक (आल इंडिया रेडियो) जुलाई 2015 से जून 2018 (प्राइवेट)
13.	श्री प्रभाकर जोशी	सेवानिवृत्त- सलाहकार वाणिज्य दूतावास

14.	सुश्री मीनाक्षी गुलिया	वरिष्ठ हिंदी सहायक (राष्ट्रीय होटल प्रबंध एंव केटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद, सेक्टर-62,) नोएडा, यू.पी.
15.	श्री रमेश चंद्र	32 वर्ष का अनुभव
16.	श्री बृज नारायण गुप्ता	सेवानिवृत्त- भारतीय स्टेट बैंक
17.	श्री जे.डी. शर्मा	अनुवादक (राजभाषा सेवा संस्थान)
18.	श्री विजय कुमार	सेवानिवृत्त- परमाणु ऊर्जा विभाग

2. चयनित अनुवादकों का मानदेय राजभाषा विभाग के दिनांक 15 मई 2018 के का.ज्ञा. सं. 13034/02/2018-रा.भा. (नीति) के अनुसार 300 रु. प्रति पृष्ठ (अनुवाद, टंकण व पुनरीक्षण सहित) की अधिकतम दर होगा। चयनित अनुवादकों के कार्य की प्रकृति पूर्णतः मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकता के अनुसार होगी। इसमें किसी भी स्तर पर राजभाषा विभाग की कोई भूमिका नहीं होगी । यह पैनल पूर्णतः अनुबंधपरक व एक अस्थायी पैनल होगा जिसमें 01 वर्ष के उपरांत आवश्यकता अनुसार परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की नियमति सरकारी नौकरी का कोई आश्वासन नहीं होगा।

3. यह कार्यालय ज्ञापन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(बी.एल.मीना)
निदेशक(का.)

प्रतिः

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय/उपक्रम/बैंक/स्वायत्त संस्थाएं आदि अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार उक्त अनुवादकों से अपने-अपने संगठन से संबंधित अनुवाद कार्य करवा सकते हैं। कार्य की गुणवत्ता की जांच आपको स्वयं करनी होगी।

******